रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 656] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, नवम्बर 4, 1993/कार्तिक 13, 1915
No. 656] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 4, 1993/KARTIKA 13, 1915

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना सं. 17 (आर ई)/92—97

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1993

का.आ. 847(अ).—विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का संख्यांक 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना सं. सा.आ. 222(अ) दिनांक 31 मार्च, 1993 के अन्तर्गत प्रकाशित निर्यात-आयात नीति, 1992–97 (संशोधित संस्करण : मार्च, 1993) में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :

(1) अध्याय-8, पैराग्राफ 8.8—स्कीम ग (पृष्ठ 33) में "इस प्रयोजन के लिये एम एम टी सी 0.9999 शुद्धता के प्लेटिनम का आयात करेगी" के रूप में पढ़े जाने वाले वाक्य को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जायेगा :—

"एम एम टी सी 0.9999 शुद्धता तक के प्लेटिनम का आयात करेगी।"

(2) अध्याय-8, पैराग्राफ 88-स्कीम ङ (पृष्ठ 33) में "ये यूनिटें चांदी, प्लेटिनम और प्लेडियम, फाइडिंग्स, माउटिंग्स, साकेट्स तथा फ्रेमों सहित जो सोने तथा अन्य बहुमूल्य धातओं के बने हों कच्चे माल, मिश्र धातुएं, कैरट स्वर्ण, रंगीन स्वर्ण, बहुमूल्य धातुओं का आयात कर सकती है।" के रूप में पढ़े जाने वाले वाक्य को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जायेगा :—

"ये यूनिटें .90 शुद्धता तक के चांदी, प्लेटिनम, पैलेडियम, फाइण्डिंग्स, माउण्टिंग्स, साकेट्स तथा फ्रेमों सहित जो सोने तथा अन्य बहुमूल्य धातुओं के बने हों, कच्चे माल, मिश्र धातुएं, कैरेट स्वर्ण, रंगीन स्वर्ण, बहुमूल्य धातओं का आयात कर सकती है।"

(3) अध्याय-8, पैराग्राफ 88-स्कीम ङ (पृष्ठ 35) में "स्वर्ण आभूषण तथा वस्तुओं के निर्यात और प्रतिपूर्ति की पूर्वोक्त नीति आवश्यक परिवर्तनों सहित प्लेटिनम के आभूषण तथा वस्तुओं के निर्यात पर लागू होगी, किन्तु एम एम टी सी ही निर्यातकों के लिये प्लेटिनम आयात करेगी तथा उसकी पूर्ति करेगी। इस प्रयोजन के लिये एम एम टी सी 0.9999 शुद्धता के प्लेटिनम का आयात करेगी।" के रूप में पढ़े जाने वाले वाक्यों को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जायेगा।

"स्वर्ण आभूषण तथा वस्तुओं के निर्यात और प्रतिपूर्ति की पूर्वोक्त नीति आवश्यक परिवर्तनों सहित प्लेटिनम के आभूषण तथा वस्तुओं के निर्यात पर लागू होगी। स्कीम ङ के अन्तर्गत निर्यातकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये एम एम टी सी भी 0.9999 शुद्धता तक के प्लेटिनम का आयात कर सकती है।"

2. इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

[फाइल सं. 6/125/92-ई पी सी]

डा. पी. एल. संजीव रेड्डि, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION NO. 17(RE)/92—97

New Delhi, the 4th November, 1993

S.O. 847(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), the Central Government hereby makes the following amendments in the Export & Import Policy, 1992—97 Revised Edition · March, 1993) published under

the Notification of the Government of India in Ministry of Commerce No. S.O. 222(E) dated the 31st March, 1993 :—

(i) In chapter VIII, paragraph 88-scheme C (page 33) the sentence reading as "For the purpose, the MMTC shall import platinum of 0.9999 fineness" shall be amended to read as under :—

"The MMTC shall import platinum of upto 0.9999 fineness."

(ii) In Chapter VIII, paragraph 88-Scheme E(page 33) the sentence reading as "These units may import raw materials, alloys, carat gold, coloured gold, precious metals including silver, platinum and palladium, findings, mountings, sockets and frames made of gold and other precious metals" shall be amended to read as under : —

"These units may import raw materials, alloys, carat gold, coloured gold, precious metals including silver, platinum of upto .90 fineness, palladium, findings, mountings, sockets and frames made of gold and other precious metals."

(iii) In Chapter VIII, paragraph 88-Scheme E(page 35) the sentences reading as 'The aforesaid policy of export and replenishment of of gold jewellery and articles shall apply mutatis-mutandis to export of platinum jewellery and articles except that MMTC alone shall import and service platinum to the exporters. For this purpose the MMTC shall import platinum of 0.9999 fineness" shall be amended to read as under :—

"The aforesaid policy of export and replenishment of gold jewellery and articles shall apply mutatis-mutandis to export of platinum jewellery and articles. The MMTC may also import platinum of upto 0.9999 fineness to service the requirements of exporters under Scheme E."

2. This issued in public interest.

File No. 6|125|92-EPCI

Dr. P. L. SANJEEV REDDY,
Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993